प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- निदेशक,
एस0आई0जी0पी0जी0,
लखनऊ।

3- कुलसचिव,
उ,विद्यालयआयुर्विज्ञान विश्व 0प्र0
सैफई इटावा।

4- निदेशक,
डा,नराम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था 0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक पद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ) पत्र संख्या एम.ई./बजट/2020-21/337 दिनांक 27.08.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 677.02 लाख (रूपए छ: करोड़ सतहत्तर लाख दो हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र 0	संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज	धनराशि (लाख में)
1	एस0आई0जी0पी0जी0, लखनऊ।	200.00
2	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	177.02
3	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	300.00
		677.02

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

3- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

4- चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/राजकीय मेडिकल कालेज का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जयेगी।

5- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-3-2020, शासनादेश संख्या- 5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11-4-2020, एवं शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07-4-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7- धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय /राजकीय मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों का महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखा शीर्षक- "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोंपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-3-2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये आधिकारों के अधीन निर्गत एि जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-61/2020/4113(1)/71-2-20, तिद्दनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. संबंधित कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
5. संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-3
7. गाईड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in